

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर, आर० ए० एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

23 / 2019

04.07.2019

चांद मौहम्मद पुत्र श्री सुलेमान खां जाति मुसलमान निवासी लाम्बा खुर्द तहसील टोडारायसिंह
जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम



शंकरलाल पुत्र श्री रामनिवास जाति नायक निवासी किशनपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक
तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक राज०

—रेस्पोजेण्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 25.06.2019

मि० नं० 02 / 2019 उनवानी शंकरलाल बनाम रतन

उपस्थिति : (1) श्री विनोद सेन, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री पवन जैन अभिभाषक रेस्पोजेण्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 19.12.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 25.06.2019 को अपीलान्ट को आराजी खसरा नंबर 417 रकबा 0.72 है० वाके ग्राम लाम्बा खुर्द पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा मानकर राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट व अभिभाषक रेस्पोजेण्ट संख्या-1 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं कर अपना निर्णय पारित किया है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कि रिपोर्ट पटवारी हल्का से दिनांक 14.05.2019 को तलब की गई है जिसमें पटवारी ने अंकित किया है कि खं० नं० 408 रकबा 0.05 है० व खं० नं० 417 रकबा 0.72 है० का खातेदार काश्तकार शंकर लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खं० नं० 408 पर मौके पर स्वयं खातेदार का कब्जा काश्त है तथा खं० नं० 417 पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। जिसमें अपीलांट का भी नाम है। उक्त मौका रिपोर्ट पर कही पर भी अपीलांट के हस्तार नहीं है। खं० नं० 417 व 418 की सीमाएं आपस में मिली हुई है तथा खं० नं० 418 अपीलांट द्वारा कय की गई है जिसकी तरमीम नहीं हुई है और न ही उक्त आराजी का अपीलांट ने कभी सीमाज्ञान करवाया है। इस

वांवारत जिला कलेक्टर
टोंक



प्रकार खं०नं० 417 व 418 की सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने में उक्त सीमाएं का हवाला नहीं दिया है। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि यदि उक्त खं०नं० 417 व 418 का सीमाज्ञान करवा लिया जावे और उसके पश्चात रेस्पो० की भूमि अपीलान्त के कब्जे में पाई जाती है तो अपीलान्त उस समय ही उसकी भूमि सम्भला देगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.06.2019 को निरस्त कर विवादित खं०नं० का नियमानुसार टीम गठित कर सीमाज्ञान करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या-1 ने जवाबी बहस में कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2074-2077 वाके ग्राम लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह में खसरा नम्बर 408 रकबा 0.05 है० व खसरा नम्बर 417 रकबा 0.72 है० शंकरलाल पुत्र रामनिवास जाति नायक सा. किशनपुरा तहसील मालपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 408 व 417 रेस्पोडेण्ट संख्या-1 की खातेदारी की भूमि है, उक्त आराजीयात में से कुछ भूमि पर अपीलान्त का अनाधिकृत कब्जा काश्त होने के फलस्वरूप अपीलान्त को बेदखल कर शास्ति कायम की गई है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा अपीलान्त सामान्य जाति का सदस्य है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्त आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जमाबंदी सम्वत 2074-2077 वाके ग्राम लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह में खसरा नम्बर 408 रकबा 0.05 है० व खसरा नम्बर 417 रकबा 0.72 है० शंकरलाल पुत्र रामनिवास जाति नायक सा. किशनपुरा तहसील मालपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे सिद्ध है कि खसरा नम्बर 408 व 417 रेस्पोडेण्ट संख्या-1 की खातेदारी की भूमि है। अपीलान्त सामान्य जाति के सदस्य है ने रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की उक्त भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। अपीलान्त का अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त है जो राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अपीलान्त सीमा विवाद का तथ्य बता रहा है जबकि धारा 183 बी के तहत पारित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में मौके पर कब्जा देते समय खं०नं० 417 की मौके पर सीमांकन करके ही रेस्पो. संख्या-1 को कब्जा दिया जाना है। अतः अपीलान्त की अपील सारहीन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अन्तर्गत धारा 183 बी राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 25.06.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखराम खोखर)
अधीनस्थ न्यायालय, टोक
दोह

